



राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्वायत्त संस्थान

NATIONAL ASSESSMENT AND ACCREDITATION COUNCIL
An Autonomous Institution of the University Grants Commission

Certificate of Accreditation

*The Executive Committee of the
National Assessment and Accreditation Council
on the recommendation of the duly appointed
Peer Team is pleased to declare the
Department of Teacher Education
Shree Balaji Academy
Moradabad, affiliated to Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University,
Uttar Pradesh as
Accredited
with CGPA of 2.07 on four point scale
at B grade
valid up to May 04, 2019*

Date : May 05, 2014



Arun Mishra
Director



उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 282767

ग्राम क्रमांक : 115337 ग्राम का नाम / परगना : मौहम्मदपुर बस्तौर(कुन्दरकी) तहसील : बिलारी जनपद : मुरादाबाद फसली वर्ष : 1421-1426 भाग : 1							
खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो।							
00490	वाला जी शिक्षा समिति / - / - मुरादाबाद द्वारा प्रबन्धक / - / - श्री अशोक कुमार पाठक / स्व0 हीरालाल पाठक / नि0 लोहागढ शहर मुरादाबाद अध्यक्ष डा0 विनय गुप्ता / दलीप सिंह गुप्ता / नि0 11 गौधीनगर मुरादाबाद	1411फ0से	873	1.1570		न्यायालय उपजिलाधिकारी बिलारी वाद स0 3/13-12-04 धारा 143ज0वि0एव भूमि वय0 अधि0 ग्राम मो0पुर वस्तौर परगना व तह0 बिलारी वालाजी शिक्षा समिति मुरादाबाद द्वारा प्रबन्धक अशोक कुमार पाठक आिद वनाम उत्तर प्रदेश सरकार में मो0 पुर वस्तौर के गाटा स0 873/1.157हे0ल029.90को आकृषिक भूमि उदघोषित किया जाता है ह0ले0 17-12-04	
			-1	1.1570	₹ 29.90	2	0
कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- एक दशमलव एक पाँच सात शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - दो नौ दशमलव नौ शून्य रुपये							
Data Digitally Signed by: MATLOOB HUSAIN					सक्षम अधिकारी: MOHAMMAD AKRAM तहसील: बिलारी जनपद: मुरादाबाद दिनांक एवं समय: 16-7-2016 02:16:40 Ⓢ यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।		
उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन http://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर किया जा सकता है।							



प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय,

बरेली।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

विषय:-

महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक:रू0वि0/सम्ब0/2007/3810-11, दिनांक 31-08-2007 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन श्री बाला जी एकेडमी, कुन्दरकी, मुरादाबाद को बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन सत्र 2007-08 से सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है:-

- (1) संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
- (2) संस्था शासनदेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनदेशों का पालन करेगी।
- (3) यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिणियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल)

अनु सचिव।



महात्मा ज्योतिबा फुले
Rohilkhand University, Bareilly

S.T.D. 0581



2527263, 2521122
2527282, 2527273

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

बरेली - 243 006 (भारत)

BAREILLY-243 006 (INDIA)

पत्रांक : रू.वि./सम्ब./2007/ 4070-77

दिनांक : 03.04.2007

सेवा में,

प्रबन्धक,

श्री बालाजी एकेडमी,

महमूदपुर बस्तौर, कुन्दरकी,

सम्भल रोड, मुरादाबाद

विषय :- संस्था में बी.एड. पाठ्यक्रम की सम्बद्धता

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 26.09.2006 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा आपको अवगत कराना है कि आपकी संस्था को राजभवन के पत्रांक ई.स./ 2733/जी.एस. दिनांक 11.01.2007 द्वारा स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी.एड. पाठ्यक्रम की सत्र 2006-07 की सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

कुलाधिपति महोदय के उपरोक्त स्वीकृति एवं एनसीटीई के पत्र संख्या NRC/NCTE/F-7/UP-1953/2006/2475 दिनांक 06.06.2006 के आलोक में कुलपति जी ने कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में श्री बालाजी एकेडमी, मुरादाबाद को शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी.एड. पाठ्यक्रम में सत्र 2006-07 हेतु सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की गयी है।

1. यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन, विश्वविद्यालय एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, (एनसीटीई) जयपुर द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
2. सम्बद्धता मानकों की पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण किया जायेगा।
3. शासनादेश संख्या 2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 (शुल्क संबंधी) एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. महाविद्यालय में स्वीकृत 100 सीटों पर समस्त प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा काउन्सिलिंग के माध्यम से किये जायेंगे।

भूवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :

1. वित्त अधिकारी
2. उप कुलसचिव
3. सहायक कुलसचिव (गोपनीय/परीक्षा/शैक्षणिक/मुद्रण)
4. निजी सचिव (कुलपति)

कुलसचिव

F. No./NRC/NCTE/UP-1953/2015 / 12353

Date 6 JUN 2015

TO BE PUBLISHED IN GAZETTE ON INDIA PART III SECTION 4

ORDER

WHEREAS, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 32 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993) and in supersession of the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2009, the National Council for Teacher Education has notified the Regulations, 2014 on 01.12.2014.

2. AND WHEREAS, the recognition was granted by NRC to Shree Balaji Academy, 8th KM Stone, Sambhai Road, District - Moradabad, State - Uttar Pradesh for B.Ed. Course vide order No. F. NRC/NCTE/F-7/5308-5331 dated 01.09.2006 with an annual intake of 100 seats w.e.f. the session 2006-2007.

3. AND WHEREAS, the institution Shree Balaji Academy, 8th KM Stone, Sambhai Road, District - Moradabad, State - Uttar Pradesh has by affidavit consented to come under New Regulations and sought for two basic units in B.Ed., which require additional facilities.

4. AND WHEREAS, it has been decided to permit the institution to have two basic units of 50 students each subject to the institution fulfilling following conditions namely.

- (i) The institution shall create additional facilities that include (a) additional built-up-area, (b) additional infrastructure, (c) additional funds, (d) adhere to staff norms as per Regulations, 2014 and inform Regional Committees with required documents by October 31, 2015.
- (ii) The application-Institution for additional unit will be required to submit the required documents such as land documents, Encumbrance Certificate (EC), Land Use Certificate (LUC) and the Building Plan (BP) in the specified proforma available on the website to the Regional Committee in proof of having provided additional facilities before October 31, 2015. Building completion Certificate (BCC) may be given along with other documents if available, otherwise it can also be given to the Visiting Team at the time of inspection.
- (iii) The Regional Committees shall arrange for verification of documents, inspection of these premises and check adherence to these condition by 20 February, 2016. If it is found by the Regional Committee that the institution fails to comply with these requirements, the institutions shall not be permitted to admit students for the academic year 2016-2017.
- (iv) In case any existing institution's matter is sub-judice under court direction/SCN under section 17 of the NCTE Act/ Complaint etc., the institution shall be required to submit a copy of the Hon'ble Court order/reply to SCN/complaint/already submitted alongwith the documents, if any together the documents referred above. In case the institution's request for shifting of premises is pending, such institution shall be required to submit the requisite documents as per provisions of the NCTE Regulations, 2014 with a copy of the order/NOC of the affiliating body/State Govt. and such other documents as indicated in the revised format recognition order. The final decision shall be subject to the directions given by the Hon'ble Court in the Writ Petition/case decided by the Northern Regional Committee in respect of Section 17/complaint cases etc.

5. Now therefore, in the light of the above, the Northern Regional Committee, NCTE hereby issues the revised Recognition Order to Shree Balaji Academy, 8th KM Stone, Sambhai Road, District - Moradabad, State - Uttar Pradesh for conducting B.Ed. programme of two years duration with an annual intake of 100 for two basic units of 50 students each from the academic session 2015-2016 subject to fulfillment of the conditions mentioned herein before 31.10.2015.

6. Further, the recognition is subject to fulfillment of all such other requirements as may be prescribed by other regulatory bodies like UGC, affiliating University/ Body, State Government etc. as applicable. The affiliating body (University/State Govt.) shall also be required to verify the authenticity of the land & building documents as well as appointment of requisite teaching & non-teaching staff as per provisions of the NCTE Regulations, 2014 by the concerned institution before grant of affiliation to an institution.

7. The institution shall submit to the Regional Committee a Self-Appraisal Report at the end of each academic year along with the statement of annual accounts duly audited by a Chartered Accountant.

Cont. 2

8. The institution shall maintain & update its website as per provisions of NCTE Regulations and always display following as mandatory disclosure.

- (a) Sanctioned programmes along with annual intake in the institution.
- (b) Name of the faculty and staff in full as mentioned in school certificate along with their qualifications, scale of pay and photograph.
- (c) Name of faculty members who left or joined during the last quarter.
- (d) Names of students admitted during the current session along with qualification, Percentage of marks in the qualifying examination and in the entrance test, if any, date of admission, etc.
- (e) Fee charged from students
- (f) Available infrastructural facilities.
- (g) Facilities added during the last quarter.
- (h) Number of books in the library, journals subscribed to and additions, if any, in the last quarter.
- (i) The affidavit with enclosure submitted along with application.
- (j) The institution shall be free to post additional relevant information, if it so desires.
- (k) Any false or incomplete information on website shall render the institution liable for withdrawal of recognition.

If the institution Contravenes any the above conditions or the provision of the NCTE Act, Rules, Regulations and Orders made and issued there under, the institution will render itself liable to adverse action including withdrawal of recognition by the Regional Committee under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.

By Order

(Dr. S.K. Chauhan)
Regional Director

The Manager to Govt. of India,
Department of Publications, (Gazette Section)
Civil Lines, Delhi – 110 054

Copy to:-

1. The Principal, Shree Bahji Academy, 8th KM Stone, Sambhai Road, District - Moradabad, State - Uttar Pradesh.
2. The Secretary, Department of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, Shastri Bhawan, New Delhi- 110001
3. The Director, Directorate of Higher Education, I/C Teacher Education, Govt. of U.P., Directorate, Allahabad, U.P.
4. The Secretary Education, Govt. of Uttar Pradesh, Secretariat, Lucknow, U.P.
5. The Registrar, Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Pilibhit By Pass Road, Bareilly-243006, Uttar Pradesh.
6. The US (Computer), National Council for Teacher Education, Hans Bhawan Wing-II, I, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi- 110 002.
7. Office order file/ Institution file


Regional Director



S.T.D. 0581
2527263, 2521122
2527282, 2523378

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

बरेली - 243 006 (भारत)
BAREILLY-243 006 (INDIA)

पत्रांक: रू.वि./सम्ब./2006/ 9687-88

दिनांक : 28.07.2006
पंजीकृत

सेवा में,
सचिव,
उच्च शिक्षा अनुभाग - 2,
उत्तर प्रदेश, सचिवालय,
लखनऊ

विषय : श्री बाला जी एकेडमी, मुरादाबाद को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकायान्तर्गत बी.एड. पाठ्यक्रम की संबद्धता प्रदान किया जाना।

महोदय,

कृपया श्री जगन्नाथ पाल, संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2 के पत्रांक 5622/सत्तर-2-2004-2 (129)/2004 दिनांक 31.12.2004 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से श्री बाला जी एकेडमी, मुरादाबाद में स्नातक स्तर पर शिक्षा संकायान्तर्गत बी.एड. पाठ्यक्रम की संबद्धता विषयक अनापत्ति प्रदान की गयी है एवं एन.सी.टी.ई. के पत्र संख्या एनआरसी/एनसीटीई/एफ-7/यू.पी.-1953/2006/2474 दिनांक 06.07.2006 के द्वारा 100 सीटों पर प्रवेश की अनुमति प्रदान की गयी है। उक्त प्रस्ताव आपसे दूरभाष पर हुई वार्ता के अनुपालन में प्रेषित किया जा रहा है।

उपर्युक्त अनापत्ति के तारतम्य में सम्बंधित संस्था से स्नातक स्तर पर उपर्युक्त पाठ्यक्रम की संबद्धता विषयक प्रस्ताव प्राप्त होने पर यह सुनिश्चित करने हेतु कि क्या आवेदक संस्था प्रार्थित विषयों की संबद्धता मानकों की पूर्ति करती है, कुलपति जी द्वारा निम्नवत निरीक्षण मण्डल का गठन किया गया :

1. प्रो. ए.के. गुप्ता, विश्वविद्यालय परिसर, बरेली विश्वविद्यालय प्रतिनिधि
2. प्रो. के. जी. शर्मा, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ विषय विशेषज्ञ (शिक्षा)
3. डॉ. राम लखन सिंह कुशवाहा, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली

उपर्युक्त निरीक्षण मण्डल द्वारा अपनी निरीक्षण आख्या में उल्लिखित कमियों के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर 'बी' प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

उक्त के सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय परिनियम संख्या 7.1.2 के अन्तर्गत उक्त पाठ्यक्रम सम्मिलित है, जोकि एक वर्ष की अवधि का है।

प्राप्त प्रस्ताव एवं निरीक्षण आख्या कार्यपरिषद की बैठक निकट भविष्य में निर्धारित न होने के कारण, कार्यपरिषद

की स्वीकृति की प्रत्याशा में आपको प्रेषित करते हुए अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि कृपया संलग्न प्रस्ताव, निरीक्षण आख्या व विश्वविद्यालय आख्या को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रकरण महामहिम कुलाधिपति जी के समक्ष प्रस्तुत कर, श्री बाला जी एकेडमी, मुरादाबाद को स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकायान्तर्गत बी.एड. पाठ्यक्रम की सम्बद्धता प्रदान करने विषयक आदेशों से अवगत कराने की कृपा करें।

सादर,

संलग्नक संवत्तानुसार

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- ✓ 1. प्रबन्धक, श्री बाला जी एकेडमी, मुरादाबाद।

भवदीय,

डॉ. (पी.के. पाण्डे)
कुलाधिपति

कुलाधिपति



महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक: रू0वि0/सम्बद्धता/2016/ 15279-89

दिनांक: 30.05.2016

सेवा में,
प्रबन्धक/सचिव
श्री बाला जी एकेडमी,
मोहम्मदपुर बस्तौर, मुरादाबाद।
विषय: श्री बाला जी एकेडमी, मोहम्मदपुर बस्तौर, मुरादाबाद को स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षा संकायान्तर्गत एम0एड0 (01 यूनिट 50 सीट) पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की अनुमति के संबंध में।
महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37 (2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया गया है तथा सम्बद्धता का अधिकार विश्वविद्यालय को प्राप्त हो गया है। मूल अधिनियम की धारा 37 में विहित प्राविधानों के आलोक में तथा शासनादेश सं. सम्ब-1145/सत्तर-2-2014-16(258)/2013 दिनांक 01.08.2014 के अनुपालन में पूर्व संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम तथा नवीन महाविद्यालयों के सम्बद्धता प्रस्तावों पर विचार करने हेतु सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 30.05.2016 को आहूत की गयी। सम्बद्धता समिति द्वारा की गयी संस्तुति तथा एन.सी.टी.ई. के (Recognition Order)/ पत्रांक एन.आर.सी./एन.सी.टी.ई./ Recognition/2016/147856-88, दिनांक 02 मई, 2016 के आलोक में संस्था श्री बाला जी एकेडमी, मोहम्मदपुर बस्तौर, मुरादाबाद को स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षा संकायान्तर्गत एम0एड0 (01 यूनिट 50 सीट पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत प्रबन्ध समिति का अनुमोदन, शिक्षकों का नियुक्ति पत्र, अनुबन्ध पत्र व कार्यभार ग्रहण आख्या वांछित होने के दृष्टिगत दिनांक 01.07.2016 से दो वर्ष हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

1. महाविद्यालय द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों/कमियों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा। मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के संबंध में निर्गत शासनादेश सं0 522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ ही सुनिश्चित किया जायेगा।
2. यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित प्राविधानों/उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी
3. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में निम्नलिखित इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें पूरी कर रहा है।
4. महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्ध तंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि संबंधित अभिलेख/सूचना कूटरचित अथवा असत्य थी एवं ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी तो प्रदत्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।
5. कक्षा संचालन से पूर्व सम्बद्धता समिति के सदस्य द्वारा जो कुलपति द्वारा नामित किया जायेगा, मूलभूत आवश्यकताओं के परीक्षण हेतु स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा।

भवदीय,

प्रो0(मुशाहिद हुसैन)
कुलपति

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
02. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
03. वित्त अधिकारी, एम0जे0पी0रू0वि0, बरेली।
04. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।
05. निजी सचिव, कुलपति।
06. अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
07. श्री रविन्द्र गौतम, प्रोग्रामर को इस आशय से कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करें।
08. उप कुलसचिव (परीक्षा)/उप कुलसचिव(गोपनीय) को अग्रिम कार्यवाही हेतु।
09. समन्वयक, बी0एड0 प्रवेश सेल।
10. मुख्य समन्वयक, संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी0एड0 2016-17, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

डॉ0(एस0एल0 मौर्य)
कुलसचिव

**LETTER OF INTENT PRIOR TO GRANT OF RECOGNITION/PERMISSION**F.NRC/NCTE/NRCAPP-11439/251th Meeting (Part-1) /2016/ 146309

Dated: 27 APR 2016

Sub.: Letter of intent prior to grant of recognition/permission under Clause 7(13) NCTE (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2014 - reg.

The NRC in its 252th Meeting (Part-2), on the basis of the scrutiny of the documents submitted by the institution, input received from the Visiting Team Report and video-graphy observed that the following institutions have adequate financial resources, accommodation, library, laboratory, land and building as prescribed in the norms and standards for the course applied and that it fulfils such other conditions relating to infrastructural and instructional facilities as required for proper functioning of the institution for a teacher education programme and decided to issue Letter of Intent (LOI) under clause 7(13) of the NCTE Regulations, 2014. The details of the institutions are as follows:-

S. No.	File No.	Name and address of the institutions	Name and Address of the Society/Trust	Course	Affiliating Body
1	NRCAPP-9990	Shree Balaji Academy, Plot No. 873, Village - Mohammadpur Bastore, Post Office - Noorpur, Tehsil - Bilari, Dist. - Moradabad (UP) 244001	Shree Balaji Shiksha Samiti, Plot No. 873, Village - Mohammadpur Bastore, Post Office - Noorpur, Tehsil - Bilari, Dist. - Moradabad (UP) 244001	M.Ed.	M.J.P. Rohilkhand University, Bareilly (UP)

2. As per provision of clause 7(13) of the NCTE Regulations, 2014, the process of appointment of qualified staff as per policy of State Government or University Grant Commission or University or Affiliating body may be initiated by the institution. The affiliating body will provide all assistance to the institution to ensure that the staff or faculty is appointed as per National Council for Teacher Education norms within two months. The institution shall submit the list of faculty, as approved by the affiliating body, to the Northern Regional Committee, Jaipur.

3. In this regard as per decision taken by NRC in its 199th meeting, it is clarified that the above implies that where there exists a provision of nomination of expert/experts for the Selection Committee by the affiliating body, the same be adhered to. In the absence of such a provision in the Act/Statutes of the affiliating body, the institution shall select faculty members by employing a transparent, objective and judicious process and shall get the list of selected faculty approved by the affiliating body. This approved list, along with details of educational qualifications and teaching experience, shall be submitted by the institution to the Regional Committee.

4. As per Regulations, 2014 an institution can be given Maximum Two units for D.El.Ed. & B.Ed. programme.

5. In view of above, before grant of formal recognition under Regulation 7(16) of the NCTE Regulations, 2014 is considered, the following documents are required to be submitted by the institution:-

- The copy of letter issued by the affiliating body to approve the faculty.
- Advertisement given for inviting application for appointment of faculty and staff.
- An affidavit on Rs. 100/-stamp paper to the effect that the institution has rejected staff as per NCTE/State/University/Affiliating body norms.(format Enclosed).
- Copies of educational & professional qualification certificates of all teaching staff showing their eligibility for appointment as per the NCTE norms and experience certificate of the Principal /HOD.
- Downloaded copies of the website of the institution with the hyperlink of the same as per provisions of clause 7(14) of the NCTE Regulations, 2014.
- The institution shall create FDRs of Rupees Seven Lakhs and Rupees Five lakhs in respect of Endowment Fund & Reserve Fund as per clause 10 of NCTE Regulation 2014. The FDRs should be in the name of the institution/society and Regional Director, NRC, Jaipur. The copies & FDRs alongwith Form "A" showing the details of the FDR Account No., Name of the Bank and address, Phone No. of the Bank, Branch Code, IFSC Code, Signature ID Code of the issuing authority of the FDR shall be submitted by the institution (Form "A" copy). As per provisions of the NCTE Regulations, 2014 followed administrative guidelines issued by the NCTE Hqrs., the FDRs of Rs. 7 lakhs and Rs. 5 lakhs are required for programme and not per unit.

6. This letter of intent is subject to the following conditions:-

- (i) The institution shall ensure that the institution is composite institution as per the definition of composite institution given in the NCTE Regulation, 2014, if at any stage, if it is found that the institution was not a composite institution, the recognition, if granted will be treated as withdrawn and the sole responsibility of the same will be of the institution. However, in the case of existing institutions permitted for additional intake, shall have to ensure that they are to become composite gradually preferably the academic session 2016-17.
- (ii) The NOC of the affiliating body submitted by the institution, if found fake at any stage, the recognition, if granted, will be treated as withdrawn and the sole responsibility of the same will be of the institution.

7. You are advised to comply the above requirements as early as possible so that the matter could be considered for formal recognition under clause 7(16) of the NCTE Regulations, 2014.

8. Admissions shall not be made until formal recognition under clause 7 (16) of the NCTE Regulations, 2014 is issued by the Northern Regional Committee, NCTE and affiliation is obtained from the University/examining body concerned.

9. The compliance report/reply alongwith all necessary documents accompanied with an Affidavit in support of the reply on the above points should be submitted **within two months of issue of this letter, failing which appropriate action will be taken as deemed fit and proper.**

10. The Regional Director is an authorized officer from the side of Northern Regional Committee, NCTE. All the concerned Bank officers are requested consider and treat this letter as authorization required for operating of account for conversion of FDRs in joint operation in the name of Management of the institution & Regional Director, NRC, NCTE, Jaipur.

Yours faithfully,


(Dr. I. K. Mansoori)
Regional Director

Encl:

- (i) Format of Affidavit on Rs.100/- stamp paper
(ii) Format of Form 'A'
(iii) Format of Affidavit on Rs.100/- stamp paper that the furnished information is correct of true.

Copy to :

1.	The Secretary/Manager, & above society/trust/companies	with the direction to submit all the requisite documents in compliance of the Letter of Intent prior to grant of recognition/permission under clause 7(13) of the NCTE Regulation, 2014
2.	The Principal, of above institutions	
3.	The Registrar, Dr. Ram Manohar Lohiya Avadh University, Faizabad,	With the request to verify the veracity of the NOC issued to the institution and thereafter approve the faculty by providing all the required assistance to the Institution so as to ensure appointment of faculty & staff strictly as per provisions of NCTE Regulations, 2014 & norms & standards there under.


Regional Director

Note: For latest & updated details of the NCTE Regulations published by the NCTE from time to time in the Gazette of India, you may please visit NCTE website i.e. www.ncte-india.org.



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बहादुरशाह जफर मार्ग

नई दिल्ली-110 002

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
BAHADURSHAH ZAFAR MARG
NEW DELHI-110 002

Ph. 23236351, 23232701, 23237721
23234116, 23235733, 23232317
23236735, 23239437, 23239627

Extension No. 413 (CPP-I Colleges)

UGC Website: www.ugc.ac.in

F. No. 8-644/2012 (CPP-I/C)

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये
SPEED POST

February, 2013

The Registrar,
M.J.P. Rohilkhand University
Dori Lal Agarwal Marg, Pilibhit Bypass Road
Bareilly – 243 001
Uttar Pradesh

13 FEB 2013

Sub: Recognition of College under Section 2 (f) & 12 (B) of the UGC Act, 1956.

Sir,

I am directed to refer to the letter no. sba/1948/2012-13 dated 12-12-2012 received from the Principal, Shree Balaji Academy, Mohammadpur Bastor, P.O. Noorpur, Opp. I.O.C. Petrol Pump, 8th Km. Stone, Sambhal Road, Moradabad – 244 001, Uttar Pradesh on the above subject and to say that it is noted that the following College is **un-aided/self financed** and **permanently** affiliated to **M.J.P. Rohilkhand University**. I am further to say that the name of the following college has been included in the list of colleges prepared under Section 2 (f) & 12 (B) of the UGC Act, 1956 under the head '**Non-Government, self financed** Colleges teaching upto **Bachelor's Degree**'.

Name of the College	Year of Establishment	Remarks
Shree Balaji Academy, Mohammadpur Bastor, P.O. Noorpur, Opp. I.O.C. Petrol Pump, 8 th Km. Stone, Sambhal Road, Moradabad – 244 001, Uttar Pradesh.	2005	As the College is charging fee as per University norms and a certificate in this regard has been received in UGC. The College would also be eligible to get grant for all UGC schemes related to teachers and students only as per the decision of the Commission dated 8 th July 2011.

The **Indemnity Bond** and the other supporting documents submitted in respect of the above College have been accepted by the University Grants Commission.

Yours faithfully,

(Raksha Pahwa)
Under Secretary

Copy to:-

1. The Principal, Shree Balaji Academy, Mohammadpur Bastor, P.O. Noorpur, Opp. I.O.C. Petrol Pump, 8th Km. Stone, Sambhal Road, Moradabad – 244 001, Uttar Pradesh.
2. The Secretary, Government of India, Ministry of Human Resource Development, Department of Secondary & Higher Education, Shastri Bhawan, New Delhi - 110 001.
3. The Secretary (Higher Education), Government of Uttar Pradesh, 8B, Navin Bhawan, UP Sachivalaya, Lucknow – 226 001, (Uttar Pradesh).
4. The Joint Secretary, UGC, Northern Regional College Bureau (NRCB), 35, Ferozeshah Road, New Delhi – 110 001.
5. Publication Officer (UGC-Website), New Delhi.
6. Section Officer (FD-III Section), UGC, New Delhi.
7. Guard file.

(Sunita Gulati)
Section Officer



महात्मा ज्योतिबा फुले
रुहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly

पत्रांक : रु.वि./सम्ब./2015/F-140 / 11613

दिनांक 30-10-2015

सेवा में,

प्रबन्धक/प्राचार्य

श्री बाला जी स्कूल कॉलेज गोरखपुर
बस्तौर, नूरपुर, सड़क रोड, गुरादाबाद

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 14-10-2015 का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें आपने संस्था में कुलपति महोदय द्वारा नामित विषय विशेषज्ञों की उपस्थिति में चयनित प्रवक्ताओं/प्राचार्य का अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया है। उक्त के आलोक में कुलपति जी ने निम्नलिखित प्रवक्ताओं/प्राचार्य का अनुमोदन प्रदान किया है-

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1- श्री प्रेमणन्द सिंह - बी.एड. | 12- श्री रविशंकर कुमार शर्मा - बी.एड. |
| 2- सुश्री धीपंका - " " | 13- सुश्री एकता शर्मा - स्नेही |
| 3- श्री अमरीश शर्मा - " " | 14- श्री सुन्दर सिंह - शारीरिक शिक्षा |
| 4- कुमारी कुसुम - " " | 15- श्री लखन गुप्ता - चित्रकला |
| 5- श्री रामेश्वर शर्मा - " " | |
| 6- श्री रामचन्द्र विक्रम - " " | |
| 7- श्री रामेश्वर सिंह - " " | |
| 8- श्री सुवील कुमार शर्मा - " " | |
| 9- श्री इशिका शर्मा - " " | |
| 10- श्री राजकुमार राय - " " | |
| 11- सुश्री हिमा पर्वीन - " " | |

अतः उपरोक्त अनुमोदित प्रवक्ताओं/प्राचार्य को शासनादेश संख्या 2443/सत्तर-2-2002-2 (85)/97 दिनांक 09.05.2000 के अनुसार नियुक्ति पत्र प्रदान करें। अनुमोदित प्रवक्ताओं के नियुक्ति पत्र की प्रति, कार्यभार आख्या, अनुबन्ध पत्र/शपथ पत्र फोटो सहित विश्वविद्यालय में अभिलेखार्थ प्रस्तुत करें।

भवदीय

M C M
कुलसचिव



महात्मा ज्योतिबा फुले
रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly

पत्रांक : रु.वि./सम्ब./2016 / 115

दिनांक 26.4.2016

सेवा में,

प्रबन्धक/प्राचार्य

श्री. बालाजी इन्फोर्मा

शा. प्रो. ए. आ. ड. फुले प्रो. ए. इ. ड. सम्बल रोड
मु. रो. दा. बा. द.

महादय,

कृपया अपने पत्र दिनांक..... का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें आपने संस्था में कुलपति महोदय द्वारा नामित विषय विशेषज्ञों की उपस्थिति में चयनित प्रवक्ताओं/प्राचार्य का अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया है। उक्त के आलोक में कुलपति जी ने निम्नलिखित प्रवक्ताओं/प्राचार्य का अनुमोदन प्रदान किया है-

01- डा. न. व. न. कुमार	=	विभागाध्यक्ष
02- श्री. गारत सिंह यादव	-	प्रवक्ता
03- श्री. अ. ज. कुमार	-	प्रवक्ता
04- सु. श्री. सु. श्री. च. दे. व.	-	प्रवक्ता

अतः उपरोक्त अनुमोदित प्रवक्ताओं/प्राचार्य को शासनादेश संख्या 2443/सत्तर-2-2002-2 (85)/97 दिनांक 09.05.2000 के अनुसार नियुक्ति पत्र प्रदान करें। अनुमोदित प्रवक्ताओं के नियुक्ति पत्र की प्रति, कार्यभार आख्या, अनुबन्ध पत्र/शपथ पत्र फोटो सहित विश्वविद्यालय में अभिलेखार्थ प्रस्तुत करें।

भवदीय

m c many
कुल-कुलसचिव



महात्मा ज्योतिबा फुले
रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly

पत्रांक : रु.वि./सम्ब./2016 | 113

दिनांक: 26.7.2016.....

सेवा में,

प्रबन्धक/प्राचार्य

श्री वालजी स्टेडमो

प्रा.म. मोहम्मद अहमद पोख - इरफत, समल रोड

कुशवाह

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक..... का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें आपने संस्था में कुलपति महोदय द्वारा नामित विषय विशेषज्ञों की उपस्थिति में चयनित प्रवक्ताओं/प्राचार्य का अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया है। उक्त के आलोक में कुलपति जी ने निम्नलिखित प्रवक्ताओं/प्राचार्य का अनुमोदन प्रदान किया है—

01. डॉ. अर्चना गुप्ता	आचार्य/प्राचार्य
02. डॉ. रामलखन विश्वकर्मा	आचार्य
03. डॉ. रवि कुमार	उपरोधर प्रोफेसर
04. डॉ. सचिन शेखर	॥ ॥
05. श्री अमिनव शर्मा	असिस्टेंट प्रोफेसर
06. श्री इमिल कुमार	॥ ॥
07. श्री मोहम्मद अहमद अहमद	॥ ॥
08. डॉ. इमिल गारवा	॥ ॥
09. श्रीमती अनीता सिंह	॥ ॥
10. श्रीमती निगी मूषा	॥ ॥

अतः उपरोक्त अनुमोदित प्रवक्ताओं/प्राचार्य को शासनादेश संख्या 2443/सत्तर-2-2002-2 (85)/97 दिनांक 09.05.2000 के अनुसार नियुक्ति पत्र प्रदान करें। अनुमोदित प्रवक्ताओं के नियुक्ति पत्र की प्रति, कार्यभार आख्या, अनुबन्ध पत्र/शपथ पत्र फोटो सहित विश्वविद्यालय में अभिलेखार्थ प्रस्तुत करें।

भवदीय

m c man
कुलसचिव



महात्मा ज्योतिबा फुले
रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly

पत्रांक : रु.वि./सम्ब./201

दिनांक 23/7/16

सेवा में

प्रबन्धक/प्राचार्य

श्रीवालाजी उमेश
Bareilly
Rohilkhand

फोटो में

कृपया अपने पत्र दिनांक 4.7.2016 का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें आपने संस्था में कुलपति महोदय द्वारा नामित विषय विशेषज्ञों की उपस्थिति में चयनित प्रवक्ताओं/प्राचार्य का अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया है। उक्त के आलोक में कुलपति जी ने निम्नलिखित प्रवक्ताओं/प्राचार्य का अनुमोदन प्रदान किया है—

1. DR. Y. K. Gupta Prof/Principal B.Tech. M.Ed. Ph.D. Dkt.

अतः उपरोक्त अनुमोदित प्रवक्ताओं/प्राचार्य को शासनादेश संख्या 2443/सत्तर-2-2002-2 (85)/97 दिनांक 09.05.2000 के अनुसार नियुक्ति पत्र प्रदान करें। अनुमोदित प्रवक्ताओं के नियुक्ति पत्र की प्रति, कार्यभार आख्या, अनुबन्ध पत्र/शपथ पत्र फोटो सहित विश्वविद्यालय में अभिलेखार्थ प्रस्तुत करें।

भवदीय

M. C. Mani
कुलसचिव